

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय  
मांग संख्या 11  
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>कुल</b>	<b>4706.17</b>	<b>1655.89</b>	<b>6362.06</b>	<b>5050.69</b>	<b>1404.39</b>	<b>6455.08</b>	<b>6614.57</b>	<b>1396.43</b>	<b>8011.00</b>	<b>7452.93</b>	<b>5692.13</b>	<b>13145.06</b>
<i>वसूलियां</i>	-8.15	...	-8.15	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<i>प्राप्तियां</i>	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>निवल</b>	<b>4698.02</b>	<b>1655.89</b>	<b>6353.91</b>	<b>5050.69</b>	<b>1404.39</b>	<b>6455.08</b>	<b>6614.57</b>	<b>1396.43</b>	<b>8011.00</b>	<b>7452.93</b>	<b>5692.13</b>	<b>13145.06</b>
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
<b>केंद्र का व्यय</b>												
<b>केन्द्र का स्थापना व्यय</b>												
1. सचिवालय	220.55	6.21	226.76	228.34	4.47	232.81	229.76	4.48	234.24	251.98	4.48	256.46
2. <i>बौद्धिक संपदा</i>												
2.01 पेटेंट डिजाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक	257.61	0.07	257.68	276.93	2.25	279.18	268.54	0.65	269.19	275.59	0.60	276.19
2.02 बौद्धिक नीति अधिकार (आईपीआर) नीति प्रबंधन	27.53	0.03	27.56	20.74	0.10	20.84	34.38	0.05	34.43	34.10	0.05	34.15
2.03 पेटेंट अभिकल्प और ट्रेड मार्क महानियंत्रक में अवसंरचना विकास (आईडीसीजीपीडीटीएम)	...	19.09	19.09	...	18.00	18.00	...	15.00	15.00	...	11.00	11.00
<i>जोड़- बौद्धिक संपदा</i>	<i>285.14</i>	<i>19.19</i>	<i>304.33</i>	<i>297.67</i>	<i>20.35</i>	<i>318.02</i>	<i>302.92</i>	<i>15.70</i>	<i>318.62</i>	<i>309.69</i>	<i>11.65</i>	<i>321.34</i>
3. <i>संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालय</i>												
3.01 पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ)	57.03	0.29	57.32	56.75	4.17	60.92	61.20	0.71	61.91	63.51	0.66	64.17
3.02 नमक आयुक्त	32.06	0.16	32.22	43.30	0.25	43.55	35.56	0.39	35.95	37.18	0.34	37.52
3.03 बॉयलर सर्वेक्षण	0.24	...	0.24	1.20	...	1.20	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50
<i>जोड़- संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालय</i>	<i>89.33</i>	<i>0.45</i>	<i>89.78</i>	<i>101.25</i>	<i>4.42</i>	<i>105.67</i>	<i>97.26</i>	<i>1.10</i>	<i>98.36</i>	<i>101.19</i>	<i>1.00</i>	<i>102.19</i>
<b>जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय</b>	<b>595.02</b>	<b>25.85</b>	<b>620.87</b>	<b>627.26</b>	<b>29.24</b>	<b>656.50</b>	<b>629.94</b>	<b>21.28</b>	<b>651.22</b>	<b>662.86</b>	<b>17.13</b>	<b>679.99</b>
<b>केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं</b>												
4. फुटवेयर, लेदर और सहायक सामग्री विकास कार्यक्रम (एफएलएडीपी)	258.35	...	258.35	250.00	...	250.00	316.00	...	316.00	350.00	...	350.00
5. औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन स्कीम (आईआईयूस)	4.00	...	4.00	0.01	...	0.01	15.93	...	15.93	...	...	...
6. मूल्य एवं उत्पादन सांख्यिकी	17.55	...	17.55	17.00	...	17.00	19.64	...	19.64	21.60	...	21.60
<b>राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर</b>												
7. राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास एवं कार्यान्वयन न्यास (एनआईसीडीआईटी)	35.36	...	35.36	500.00	...	500.00	1500.00	...	1500.00	25.01	2474.99	2500.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>मेक इन इंडिया</b>												
8. निवेश संवर्धन योजना	204.11	0.04	204.15	179.85	0.15	180.00	179.85	0.15	180.00	191.18	...	191.18
9. निधियों की निधि	...	1470.00	1470.00	...	1200.00	1200.00	...	1200.00	1200.00	...	1200.00	1200.00
10. फंड ऑफ फंड्स 2.0	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	2000.00	2000.00
11. क्रेडिट गारंटी निधि	250.00	...	250.00	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00	0.01	...	0.01
12. स्टार्ट-अप इंडिया	55.60	...	55.60	0.01	...	0.01	...	...	...	...	...	...
13. स्टार्टअप इंडिया सीड फण्ड स्कीम (एसआईएसएफएस)	...	160.00	160.00	...	175.00	175.00	...	175.00	175.00	...	0.01	0.01
14. व्यापार करने की सुगमता	8.73	...	8.73	10.00	...	10.00	9.93	...	9.93	...	...	...
15. व्हाइट गुड्स (एसी एवं एलईडी लाइट) के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन स्कीम	74.20	...	74.20	298.02	...	298.02	213.57	...	213.57	444.54	...	444.54
16. विनिर्माण मिशन - मेक इन इंडिया को आगे ले जाना	...	...	...	...	...	...	...	...	...	100.00	...	100.00
<b>जोड़-मेक इन इंडिया</b>	<b>592.64</b>	<b>1630.04</b>	<b>2222.68</b>	<b>587.88</b>	<b>1375.15</b>	<b>1963.03</b>	<b>503.35</b>	<b>1375.15</b>	<b>1878.50</b>	<b>735.73</b>	<b>3200.01</b>	<b>3935.74</b>
17. खिलौनों के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन स्कीम	...	...	...	0.01	...	0.01	...	...	...	...	...	...
18. फुटवियर और चमड़ा क्षेत्र हेतु उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन स्कीम	...	...	...	0.01	...	0.01	...	...	...	...	...	...
19. उत्तर पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगिकीकरण योजना (उन्नति), 2024	...	...	...	30.00	...	30.00	30.00	...	30.00	175.00	...	175.00
<b>पिछड़े और दूरस्थ क्षेत्रों का औद्योगिक विकास</b>												
20. पूर्वोत्तर औद्योगिक और निवेश संवर्धन नीति (एनईआईपीपी)	219.75	...	219.75	80.00	...	80.00	80.00	...	80.00	50.00	...	50.00
21. पूर्वोत्तर औद्योगिक विकास स्कीम (एनईआईडीएस) 2017	399.99	...	399.99	400.00	...	400.00	400.00	...	400.00	400.00	...	400.00
22. परिवहन/ मालभाड़ा सन्निडी स्कीम	84.98	...	84.98	...	...	...	1.30	...	1.30	...	...	...
23. विशेष श्रेणी राज्यों जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड के लिए पैकेज	4.36	...	4.36	0.01	...	0.01	...	...	...	...	...	...
24. जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र औद्योगिक विकास स्कीम, 2017	35.36	...	35.36	100.00	...	100.00	24.20	...	24.20	26.13	...	26.13
25. हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड औद्योगिक विकास स्कीम, 2017	350.00	...	350.00	567.00	...	567.00	401.39	...	401.39	150.00	...	150.00
26. जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र औद्योगिक विकास	168.87	...	168.87	300.00	...	300.00	175.00	...	175.00	300.00	...	300.00
<b>जोड़-पिछड़े और दूरस्थ क्षेत्रों का औद्योगिक विकास</b>	<b>1263.31</b>	<b>...</b>	<b>1263.31</b>	<b>1447.01</b>	<b>...</b>	<b>1447.01</b>	<b>1081.89</b>	<b>...</b>	<b>1081.89</b>	<b>926.13</b>	<b>...</b>	<b>926.13</b>
27. लद्दाख औद्योगिक विकास, 2022	...	...	...	5.00	...	5.00	...	...	...	...	...	...
28. पूर्वोत्तर क्षेत्र और हिमालयी राज्यों की औद्योगिक इकाइयों को केंद्रीय और एकीकृत जीएसटी वापस करना	1749.68	...	1749.68	1382.35	...	1382.35	2291.78	...	2291.78	1852.83	...	1852.83
29. प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्कों के लिए नई योजना	...	...	...	...	...	...	...	...	...	2500.00	...	2500.00
<b>जोड़-केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं</b>	<b>3920.89</b>	<b>1630.04</b>	<b>5550.93</b>	<b>4219.27</b>	<b>1375.15</b>	<b>5594.42</b>	<b>5758.59</b>	<b>1375.15</b>	<b>7133.74</b>	<b>6586.30</b>	<b>5675.00</b>	<b>12261.30</b>
<b>केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय</b>												
<b>स्वायत्त निकाय</b>												
30. स्वायत्त संगठन												
30.01 स्वायत्तशासी संस्थाओं को सहायता	133.54	...	133.54	138.45	...	138.45	117.08	...	117.08	123.96	...	123.96
30.02 विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यूआईपीओ)	0.86	...	0.86	1.00	...	1.00	0.87	...	0.87	0.90	...	0.90

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
30.03 एशियाई उत्पादकता संगठन /संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन	19.68	...	19.68	30.35	...	30.35	29.94	...	29.94	25.50	...	25.50
30.04 स्वायत्तशासी निकायों को सहायता	36.18	...	36.18	34.35	...	34.35	26.60	...	26.60	23.40	...	23.40
जोड़- स्वायत्त संगठन	190.26	...	190.26	204.15	...	204.15	174.49	...	174.49	173.76	...	173.76
<b>अन्य</b>												
31. स्टार्टअप इंडिया	...	...	...	...	...	...	51.55	...	51.55	30.00	...	30.00
32. भारत कोरिया संयुक्त अनुप्रयुक्त अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम का क्रियान्वयन	...	...	...	0.01	...	0.01	...	...	...	0.01	...	0.01
33. वास्तविक बसूली	-8.15	...	-8.15	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-अन्य	-8.15	...	-8.15	0.01	...	0.01	51.55	...	51.55	30.01	...	30.01
<b>जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय</b>	<b>182.11</b>	...	<b>182.11</b>	<b>204.16</b>	...	<b>204.16</b>	<b>226.04</b>	...	<b>226.04</b>	<b>203.77</b>	...	<b>203.77</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>4698.02</b>	<b>1655.89</b>	<b>6353.91</b>	<b>5050.69</b>	<b>1404.39</b>	<b>6455.08</b>	<b>6614.57</b>	<b>1396.43</b>	<b>8011.00</b>	<b>7452.93</b>	<b>5692.13</b>	<b>13145.06</b>
<b>ख. विकास शीर्ष</b>												
<b>सामान्य सेवाएं</b>												
1. अन्य प्रशासनिक सेवाएं	56.92	...	56.92	56.75	...	56.75	61.20	...	61.20	63.51	...	63.51
2. लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	...	19.09	19.09	...	18.00	18.00	...	15.00	15.00	...	11.00	11.00
3. अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	0.29	0.29	...	4.17	4.17	...	0.71	0.71	...	0.66	0.66
जोड़-सामान्य सेवाएं	<b>56.92</b>	<b>19.38</b>	<b>76.30</b>	<b>56.75</b>	<b>22.17</b>	<b>78.92</b>	<b>61.20</b>	<b>15.71</b>	<b>76.91</b>	<b>63.51</b>	<b>11.66</b>	<b>75.17</b>
<b>आर्थिक सेवाएं</b>												
4. उद्योग	1069.09	...	1069.09	1070.07	...	1070.07	1081.01	...	1081.01	3810.78	...	3810.78
5. उद्योग और खनिजों पर अन्य परिव्यय	3048.35	...	3048.35	1679.07	...	1679.07	2441.45	...	2441.45	799.45	...	799.45
6. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	220.18	...	220.18	228.34	...	228.34	229.76	...	229.76	251.98	...	251.98
7. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	303.48	...	303.48	314.91	...	314.91	322.83	...	322.83	331.59	...	331.59
8. अन्य उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	...	1636.51	1636.51	...	1382.22	1382.22	...	1380.72	1380.72	...	5680.47	5680.47
जोड़-आर्थिक सेवाएं	<b>4641.10</b>	<b>1636.51</b>	<b>6277.61</b>	<b>3292.39</b>	<b>1382.22</b>	<b>4674.61</b>	<b>4075.05</b>	<b>1380.72</b>	<b>5455.77</b>	<b>5193.80</b>	<b>5680.47</b>	<b>10874.27</b>
<b>अन्य</b>												
9. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	1701.55	...	1701.55	2478.32	...	2478.32	2195.62	...	2195.62
जोड़-अन्य	...	...	...	<b>1701.55</b>	...	<b>1701.55</b>	<b>2478.32</b>	...	<b>2478.32</b>	<b>2195.62</b>	...	<b>2195.62</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>4698.02</b>	<b>1655.89</b>	<b>6353.91</b>	<b>5050.69</b>	<b>1404.39</b>	<b>6455.08</b>	<b>6614.57</b>	<b>1396.43</b>	<b>8011.00</b>	<b>7452.93</b>	<b>5692.13</b>	<b>13145.06</b>

(₹ करोड़)

	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़

	बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता		
	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	
<b>ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश</b>												
1. राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरीडोर विकास और कार्यान्वयन न्यास	...	...	...	...	...	...	...	...	...	2474.99	2474.99	
<b>जोड़</b>	...	...	...	...	...	...	...	...	...	<b>2474.99</b>	<b>2474.99</b>	

(₹ करोड़)

1. **सचिवालय:** उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग तथा आर्थिक सलाहकार कार्यालय के सचिवालय संबंधी व्यय हेतु प्रावधान करता है।

2.01. **पेटेंट डिजाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक:** यह कार्यालय औद्योगिक संपदा अधिकारों नामतः पेटेंट अधिनियम, 1970, डिजाइन अधिनियम, 2000, व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999, भौगोलिक उपदर्शन अधिनियम, 1999, प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1957 तथा अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिविन्यास डिजाइन अधिनियम, 2000 से संबंधित कानूनों के प्रशासन के लिए उत्तरदायी है।

2.02. **बौद्धिक नीति अधिकार (आईपीआर) नीति प्रबंधन:** बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) नीति प्रबंधन तीन स्कीमों, नामतः बौद्धिक संपदा अधिकार संवर्धन और प्रबंधन के लिए प्रकोष्ठ (सीआईपीएएम), समग्र शिक्षा और शिक्षा के लिए आईपीआर में शिक्षाशास्त्र और अनुसंधान की स्कीम (एसपीआरआईएचए) (पूर्व में प्रतिलिप्याधिकार और आईपीआर का संवर्धन) और भौगोलिक संकेतक जागरूकता पहल का संशोधित संस्करण है। यह स्कीम, राष्ट्रीय आईपीआर नीति के अनुरूप है और भारत में आईपीआर जागरूकता, वाणिज्यीकरण और प्रवर्तन तथा संस्थाओं में आईपी शिक्षण को आगे बढ़ाने के साथ-साथ आईपीआर के विभिन्न क्षेत्रों में अध्ययन/अनुसंधान को बढ़ावा देने पर विशेष जोर देती है। एसपीआरआईएचए का उद्देश्य, बौद्धिक संपदा शिक्षा और अनुसंधान की सुविधा प्रदान करना है।

2.03. **पेटेंट अभिकल्प और ट्रेड मार्क महानियंत्रक में अवसंरचना विकास (आईडीसीजीपीटीएम):** महानियंत्रक पेटेंट डिजाइन और व्यापार चिह्न (ट्रेडमार्क) कार्यालय में अवसंरचना विकास (आईडीसीजीपीटीएम) महानियंत्रक पेटेंट डिजाइन और व्यापार चिह्न कार्यालय के तहत विभिन्न कार्यालयों के अवसंरचना विकास के लिए सहायता प्रदान करेगा।

3.01. **पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ):** संगठन की स्थापना संबंधी लागत हेतु प्रावधान करता है, जो भारतीय विस्फोटक अधिनियम, 1884, पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 तथा ज्वलनशील पदार्थ अधिनियम, 1952 तथा इनके तहत बनाए गए विभिन्न नियमों का प्रशासन करता है। यह संगठन, विस्फोटक/पेट्रोलियम/गैस सिलेंडर तथा प्रेशर बेसेल्स के विनिर्माण, स्वामित्व, बिक्री, प्रयोग, परिवहन, आयात/निर्यात हेतु लाइसेंस प्रदान करता है। यह संगठन, पाइपलाइनों सहित पेट्रोलियम और विस्फोटक संबंधी पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत खतरनाक रसायन के विनिर्माण, भंडारण और आयात नियमावली 1989 का भी प्रशासन करता है। यह प्रतिष्ठान उक्त अधिनियमों के अंतर्गत आने वाले मुद्दों पर सभी प्राधिकरणों को परामर्श देता है। संगठन जन्म किए गए और खराब विस्फोटक पदार्थों (सैन्य विस्फोटकों के अलावा) को नष्ट करने का कार्य करता है।

3.02. **नमक आयुक्त:** यह संगठन नमक के उत्पादन, संबंधित लक्ष्यों तथा नमक के वितरण, मूल्य निगरानी, अभिरक्षा एवं इससे संबंधित न्यायिक मामलों सहित विभागी लवण भूमि की देख भाल, नमक संबंधी मानकों तथा गुणवत्ता को बनाए रखने, नमक के निर्यात के लिए उत्तरदायी है। यह राष्ट्रीय आयोडीन न्यूनता नियंत्रण कार्यक्रम (एनआईडीडीसीपी) के कार्यान्वयन हेतु नोडल एजेंसी है। यह आयोडीन युक्त नमक सहित नमक के उत्पादन और युक्तिसंगत वितरण को विनियमित करता है। यह नमक की कीमतों और उपलब्धता की नियमित रूप से निगरानी भी करता है। बजट में संगठन के स्थापना प्रभारों और नमक कामगारों के विकास/कल्याण स्कीमों तथा एससीओ भूमि के प्रबंधन पर होने वाले व्यय की लागत हेतु प्रावधान किया जाता है।

3.03. **बॉयलर सर्वेक्षण:** बॉयलर के प्रचालन और अनुरक्षण संबंधी कार्यशालाओं का आयोजन और बॉयलर अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए जांच हेतु प्रावधान किया जाता है।

4. **फुटवेयर, लेदर और सहायक सामग्री विकास कार्यक्रम (एफएलएडीपी):** फुटवेयर, चमड़ा और सहायक-सामग्री विकास कार्यक्रम (एफएलएडीपी) स्कीम को वर्ष 2021-26 के दौरान कार्यान्वयन के लिए फुटवेयर और चमड़ा विकास कार्यक्रम के रूप में इसका नाम परिवर्तित करके दिनांक 19.01.2022 को मंत्रिमंडल द्वारा इसे जारी रखने के लिए अनुमोदित किया गया है।

5. **औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन स्कीम (आईआईयूस):** औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना प्रदान करके उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार की कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से चुनिंदा कार्यशील क्लस्टरों में अवसंरचना विकास किया जाएगा।

6. **मूल्य एवं उत्पादन सांख्यिकी:** यह स्कीम, मूल्य और उत्पादन सांख्यिकी स्कीम, 2017-18 में जारी दो पुरानी स्कीमों का विलय करके बनाई गई थी। 12वीं योजना अवधि के दौरान, ओईए एक स्कीमगत स्कीम अर्थात् व्यवसाय सेवा मूल्य सूचकांक विकास का संचालन कर रहा था। इसी प्रकार, डीपीआईआईटी भी औद्योगिक सांख्यिकी सुदृढीकरण स्कीम का संचालन कर रहा था। इन दोनों योजनाओं का विलय एएस एंड एफ ए के अनुमोदन से किया गया। इस स्कीम के तहत आर्बिट्रि निधियों का उपयोग केवल राजस्व व्यय (पेशेवर सेवाओं) के लिए हैं तथा मुख्य रूप से वेतन और मानदेय के भुगतान के लिए और संविदा क्षेत्र के अन्वेषकों और पर्यवेक्षकों के परिवहन भत्ते के लिए किया जाता है, जो एनएसएसओ द्वारा डेटा संग्रहण करते हैं तथा आर्थिक सलाहकार कार्यालय (ओईए) द्वारा नियुक्त परामर्शदाताओं को भुगतान अथवा पेशेवर सेवाओं हेतु भुगतान करने के लिए किया जाता है।

7. **राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास एवं कार्यान्वयन न्यास (एनआईसीडीआईटी):** भारत सरकार ने 7 दिसंबर, 2016 को भारत में औद्योगिक कॉरिडोर परियोजनाओं के समन्वित और एकीकृत विकास के लिए मौजूदा दिल्ली मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना कार्यान्वयन न्यास निधि (डीएमआईसी-पीआईटीएफ) के दायरे के विस्तार को अनुमोदित किया था और इसे राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास और कार्यान्वयन न्यास (एनआईसीडीआईटी) के रूप में पुनः नामित किया गया था। एनआईसीडीआईटी, डीपीआईआईटी के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन है और वर्तमान में 11 विभिन्न औद्योगिक कॉरिडोर तथा भविष्य में आने वाले विभिन्न औद्योगिक कॉरिडोर भी एनआईसीडीआईटी के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करेंगे।

औद्योगिक कॉरिडोर के विकास की रूपरेखा, भारत सरकार और राज्य सरकार (सरकारों) के बीच साझेदारी दृष्टिकोण पर आधारित है, जहां भारत सरकार मुख्य अवसरचना के विकास के लिए शहर/नोड/परियोजना विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी) को इक्विटी और/अथवा ऋण के रूप में निधियां प्रदान करती है, राज्य, शहर/नोड/एसपीवी को अपनी इक्विटी के भाग के रूप में भूमि प्रदान करने के लिए उत्तरदायी हैं।

8. **निवेश संवर्धन योजना:** निवेश संवर्धन एक बहुआयामी रणनीतिक कार्यक्रम है, जो मौजूदा और संभावित निवेशकों के लिए निवेश के अवसर लाने का प्रयास करता है। किसी देश के लिए पूंजी, रोजगार, कौशल, प्रौद्योगिकी, उत्पादकता और नवप्रयोग के आगमन का लाभ प्राप्त करने के लिए, निवेश संवर्धन हेतु प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) सुधार, निवेश सुविधा और लक्षित आउटरीच जैसे मुख्य कार्य कलापों के लिए निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता होती है।

निवेश अंतर्वाह को बढ़ाने के लिए, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) विभिन्न पहलें और सुधार कार्य कर रहा है जैसे मेक इन इंडिया की शुरुआत करना, चैंपियन क्षेत्रों और उप-क्षेत्रों को सहायता प्रदान करना, सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह और परियोजना विकास प्रकोष्ठों की स्थापना करना, औद्योगिक सूचना प्रणाली और राष्ट्रीय निवेश मंजूरी प्रकोष्ठों की स्थापना करना। वर्ष 2021-22 से 2025-26 के लिए निवेश संवर्धन स्कीम को जारी रखने वाले घटकों में निवेशक को लक्षित करना और सुविधा प्रदान करना- घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कार्य कलाप, निवेश संवर्धन-प्रवर्धन और आउटरीच कार्य कलाप, परियोजना प्रबंधन कार्य कलाप और विदेश यात्रा शामिल हैं।

9. **निधियों की निधि:** स्टार्टअप के लिए निधियों का कोष स्कीम को जून 2016 में 10,000 करोड़ रूपए के कॉर्पस के साथ अनुमोदित और स्थापित किया गया था ताकि भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम को अत्यावश्यक बढ़ावा दिया जा सके और वे घरेलू पूंजी तक पहुंच प्राप्त करने में सक्षम हो सकें। इस स्कीम का संचालन भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा किया जा रहा है। एफएफएस के तहत, स्कीम सीधे तौर पर स्टार्टअप में निवेश नहीं करती बल्कि डॉटर फंड के नाम से जानी जाने वाली सेबी-पंजीकृत बैकल्पिक निवेश निधियों (एआईएफ) को पूंजी उपलब्ध कराती है, जो बदले में इक्विटी और इक्विटी संबद्ध साधनों के जरिए विकासशील भारतीय स्टार्टअप में निवेश करते हैं। सिडबी को, उपयुक्त डॉटर फंड का चयन करके तथा प्रतिबद्ध पूंजी के संवितरण की निगरानी करके इस निधि के संचालन का अधिदेश दिया गया है। एफएफएस के तहत सहायता प्राप्त एआईएफ को एफएफएस के तहत प्रतिबद्ध राशि का कम से कम दो गुना स्टार्टअप में निवेश करना अपेक्षित है।

10. **फंड ऑफ फंड्स 2.0:** नई योजना अर्थात् फंड ऑफ फंड्स 2.0 को भारतीय स्टार्टअप के इकोसिस्टम को बढ़ावा देने और घरेलू पूंजी तक पहुंच को सक्षम करने के लिए विस्तारित दायरे के साथ स्टार्टअप योजना के रूप में तैयार किया गया है।

11. **क्रेडिट गारंटी निधि:** सरकार ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) में पंजीकृत बैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) द्वारा दिए गए ऋणों के लिए ऋण गारंटी प्रदान करने हेतु ऋण गारंटी योजना (सीजीएसएस) की स्थापना को अधिसूचित किया है। सीजीएसएस का उद्देश्य पात्र उधारकर्ताओं अर्थात् डीपीआईआईटी द्वारा स्टार्ट-अप के रूप में मान्यता प्राप्त संस्थाओं को वित्तपोषित करने के लिए सदस्य संस्थानों (एमआई) द्वारा दिए गए ऋणों के लिए एक निर्दिष्ट सीमा तक ऋण गारंटी प्रदान

करना है। सीजीएसएस को संचालन राष्ट्रीय ऋण गारंटी न्यास कंपनी (एनसीजीटीसी) लिमिटेड द्वारा किया जाता है। इस योजना को हाल ही में 01 अप्रैल, 2023 को शुरू किया गया है।

12. **स्टार्ट-अप इंडिया:** घटक को स.अ. 2024-25 के बाद से क्रम सं. 28 पर अन्य केंद्रीय क्षेत्र के व्यय में स्थानांतरित कर दिया गया है।

13. **स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (एसआईएसएफएस):** स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम को 945 करोड़ रूपए के कॉर्पस के साथ वर्ष 2021-22 से 4 वर्ष की अवधि के लिए अनुमोदित किया गया है। इस स्कीम का उद्देश्य, स्टार्टअप को अवधारणा के साथ, प्रोटोटाइप विकास, उत्पाद परीक्षण, बाजार प्रवेश और वाणिज्यीकरण के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। यह स्कीम 1 अप्रैल, 2021 से कार्यान्वित की गई है।

एसआईएसएफएस के तहत, विशेषज्ञ सलाहकार समिति (ईएसी) एसआईएसएफएस के समग्र निष्पादन और निगरानी के लिए उत्तरदायी है। यह ईएसी स्कीम के तहत निधि के आबंटन के लिए इंक्यूबेटर्स का मूल्यांकन और चयन करती है। स्कीम के प्रावधानों के अनुसार, चयनित इंक्यूबेटर्स स्कीम के दिशानिर्देशों में उल्लिखित मानदंडों के आधार पर स्टार्टअप का चयन करते हैं।

14. **व्यापार करने की सुगमता:** ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक ऐसी पहल है, जिसका उद्देश्य नियामक बोझ की पहचान करके और मौजूदा नियमों और प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करके और अनावश्यक अपेक्षाओं और प्रक्रियाओं को समाप्त करके अनुकूल व्यावसायिक वातावरण बनाना है। व्यय मुख्य रूप से परामर्श शुल्क, सर्वेक्षण शुल्क और वेबसाइट रखरखाव शुल्क आदि की लागत को पूरा करने के लिए किया जाता है।

15. **व्हाइट गुड्स (एसी एवं एलईडी लाइट) के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन स्कीम:** केंद्रीय मंत्रिमंडल ने माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 7 अप्रैल, 2021 को 5 वर्ष की अवधि के लिए 6,238 करोड़ रूपए के परिव्यय के साथ व्हाइट गुड्स के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम को मंजूरी दे दी है। इस स्कीम को 16 अप्रैल, 2021 को ई-राजपत्र में अधिसूचित किया गया था और स्कीम के दिशा-निर्देश 4 जून, 2021 को डीपीआईआईटी की वेबसाइट पर प्रकाशित किए गए थे। यह स्कीम, घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देगी और भारत में व्हाइट गुड्स विनिर्माण में बड़े निवेश को आकर्षित करेगी। कुल मिलाकर, इस स्कीम के तहत 64 आवेदकों को मंजूरी दी गई है और इससे एसी और एलईडी लाइट उद्योग के घटक विनिर्माण इकोसिस्टम में 6,766 करोड़ रूपए का निवेश प्राप्त होने की उम्मीद है।

16. **विनिर्माण मिशन - मेक इन इंडिया को आगे ले जाना:** केंद्रीय मंत्रालयों और राज्यों के लिए नीतिगत सहायता, रोडमैप के निष्पादन, शासन और निगरानी ढांचे प्रदान करने के लिए एक नई योजना तैयार की गई है।

17. **खिलौनों के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन स्कीम:** खिलौनों के लिए पीएलआई योजना की सिफारिश रुपये 3489 करोड़ के परिव्यय के साथ वित्तीय वर्ष 2024-25 से वित्तीय वर्ष 2031-32 तक की अवधि के लिए की गई है। सरकार की किसी अन्य पीएलआई योजना के तहत लाभ प्राप्त करने वाली इकाई इस उत्पाद के लिए पात्र नहीं होगी। इस योजना को अभी कैबिनेट से मंजूरी नहीं मिली है।

18. **फुटबियर और चमड़ा क्षेत्र हेतु उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन स्कीम:** भारत के चमड़ा और जूते निर्माताओं के लिए पीएलआई योजना का कुल परिव्यय 2600 करोड़ रूपए है। योजना की अवधि वित्तीय वर्ष 2023 -24 से वित्तीय वर्ष 2031-32 तक है। प्रोत्साहनों का वार्षिक व्यय अनेक चरों पर निर्भर करता है। मौजूदा आईएफएलडीपी योजना के तहत एक निर्माता द्वारा प्राप्त लाभों को इस पीएलआई योजना के तहत उसी इकाई के लिए प्रोत्साहन की गणना करते समय समायोजित किया जाएगा। इस योजना को अभी कैबिनेट से मंजूरी नहीं मिली है।

19. **उत्तर पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगिकीकरण योजना (उन्नति), 2024:** उत्तर पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगिकीकरण स्कीम (उन्नति), 2024:- पूर्वोत्तर में औद्योगिक इकोसिस्टम को मजबूत करने तथा विभिन्न गतिविधियों और पात्र नई औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहन प्रदान करने के माध्यम से नए निवेश को आकर्षित करने के लिए, उत्तर पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगिकीकरण योजना (उन्नति), 2024 नामक एक नई योजना 09.03.2024 को अधिसूचित की गई है।

20. **पूर्वोत्तर औद्योगिक और निवेश संवर्धन नीति (एनईआईपीपी):** पूर्वोत्तर औद्योगिक और निवेश प्रोत्साहन नीति (एनईआईआईपीपी), 2007 को 31.03.2017 को समाप्त कर दिया गया है। हालांकि, इस योजना की देख-रेख 31.03.2027 तक जारी रखी जाएगी।

21. **पूर्वोत्तर औद्योगिक विकास स्कीम (एनईआईडीएस) 2017:** पूर्वोत्तर राज्यों में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने और रोजगार आय सृजन को बढ़ावा देने के लिए, पूर्वोत्तर औद्योगिक विकास स्कीम (एनईआईडीएस), 2017 नामक एक स्कीम दिनांक 12.04.2018 को अधिसूचित की गई थी, जो दिनांक 01.04.2017 से पांच वर्ष की अवधि के लिए लागू हुई है। (दिनांक 31.03.2017 को एनईआईआईपीपी, 2007 के बंद होने के बाद)। यह स्कीम दिनांक 31/03/2022 को बंद हो गई है, हालांकि, स्कीम के तहत पंजीकृत औद्योगिक इकाइयों दिनांक 31/03/2028 तक स्कीम के तहत लाभ के लिए पात्र होंगी।

22. **परिवहन/ मालभाड़ा सस्मिडी स्कीम:** परिवहन/माल-भाड़ा सस्मिडी स्कीम (एफएसएस), 2013 को दिनांक 22.11.2016 से बंद कर दिया गया है। तथापि, दिनांक 22.11.2016 को डीआईपीपी की अधिसूचना जारी होने की तिथि से पहले स्कीम के तहत पंजीकृत औद्योगिक इकाइयों स्कीम के लाभों के लिए पात्र रहेंगी।

23. **विशेष श्रेणी राज्यों जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड के लिए पैकेज:** यह पैकेज संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर, संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख और हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड राज्यों के लिए औद्योगिक विकास स्कीम हेतु है जिसका उद्देश्य इन संघ राज्य क्षेत्रों/राज्यों में औद्योगिक विकास में तेजी लाना है।

24. **जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र औद्योगिक विकास स्कीम, 2017:** यह स्कीम 23 अप्रैल, 2018 को अधिसूचित की गई थी। इस स्कीम के तहत लाभों में ऋण तक पहुंच के लिए केंद्रीय पूंजी निवेश प्रोत्साहन (सीसीआईआईपीसी), व्यापक बीमा प्रोत्साहन (सीसीआईआईपीसी) तथा केंद्रीय व्याज प्रोत्साहन (सीआईआईपीसी) शामिल हैं। दिनांक 01.01.2019 की अधिसूचना के जरिए चार और घटकों, यथा जीएसटी प्रतिपूर्ति, आयकर प्रतिपूर्ति, परिवहन प्रोत्साहन और रोजगार प्रोत्साहन को शामिल किया गया था। इस स्कीम के तहत लाभों का दावा करने की इच्छुक इकाइयों के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए विभाग द्वारा इन-हाउस पोर्टल तैयार किया गया है। यह स्कीम दिनांक 15.06.2017 से 31.03.2022 तक वैध है।

इस स्कीम के तहत उच्चधिकार प्राप्त समिति ने विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में 225 इकाइयों (जम्मू और कश्मीर- 215, लद्दाख- 10) को पंजीकरण प्रदान किया है।

25. **हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड औद्योगिक विकास स्कीम, 2017:** यह स्कीम दिनांक 01.04.2017 से 31.03.2022 तक वैध है जो 23 अप्रैल, 2018 को अधिसूचित की गई थी। इस स्कीम के तहत लाभों में ऋण तक पहुंच के लिए केंद्रीय पूंजी निवेश प्रोत्साहन (सीसीआईआईपीसी) और व्यापक बीमा प्रोत्साहन (सीसीआईआईपीसी) शामिल हैं।

26. **जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र औद्योगिक विकास:** जम्मू और कश्मीर के औद्योगिक विकास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की नई स्कीम अधिसूचना जारी होने की तिथि से प्रभावी होगी और दिनांक 31.03.2037 तक जारी रहेगी जो स्कीम की अवधि के दौरान 28400/- करोड़

रुपये के कुल परिव्यय से निम्नलिखित प्रोत्साहन: i. पूंजीगत निवेश प्रोत्साहन, ii. पूंजीगत व्याज सहायता, iii. वस्तु और सेवा कर संबद्ध प्रोत्साहन (जीएसटीएलआई) और iv. कार्यशील पूंजी व्याज सहायता प्रदान करती है।

27. **लद्दाख औद्योगिक विकास, 2022:** संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख के औद्योगिक विकास के लिए नई केंद्रीय क्षेत्र स्कीम वर्ष 2023-24 से 3500/- करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ होगी। स्कीम अवधि के दौरान निम्नलिखित प्रोत्साहन: i. पूंजी निवेश प्रोत्साहन, ii. पूंजीगत व्याज सहायता, iii. वस्तु एवं सेवा कर संबद्ध प्रोत्साहन (जीएसटीएलआई) और iv. कार्यशील पूंजी व्याज सहायता प्रदान करती है।

28. **पूर्वोत्तर क्षेत्र और हिमालयी राज्यों की औद्योगिक इकाइयों को केंद्रीय और एकीकृत जीएसटी वापस करना:** सिक्किम सहित उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू-कश्मीर और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित पात्र इकाइयों को जीएसटी व्यवस्था के तहत बजटीय सहायता की स्कीम दिनांक 05.10.2017 को सद्भावना के उपाय के रूप में अधिसूचित की गई थी, ताकि दिनांक 01.07.2017 से शेष अवधि हेतु, लेकिन यह अवधि 30.06.2027 से अधिक नहीं होगी, उनके दावों की प्रतिपूर्ति के जरिए नई जीएसटी व्यवस्था में अंतरण के दौरान पात्र इकाइयों की सहायता की जा सके, जो राज्यों के हिस्से के हस्तांतरण के बाद बनाए रखे गए करों में केंद्र सरकार के हिस्से के 58 प्रतिशत तक सीमित है।

29. **प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्कों के लिए नई योजना:** पूर्ण अवसंरचना के साथ इवेंटमेंट-रेडी प्लग तथा प्ले इंडस्ट्रियल पार्कों के विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए एक नई योजना बनाई गई।

30.01. **स्वायत्तशासी संस्थाओं को सहायता:** इस परियोजना के अंतर्गत, स्वायत्त संस्थाओं अर्थात् पांच राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अहमदाबाद, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश और असम, केंद्रीय लुग्दी और कागज अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय सीमेंट और भवन निर्माण सामग्री परिषद, केंद्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय रबड़ विनिर्माता अनुसंधान संघ और राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद को सहायता प्रदान की जाती है।

30.02. **विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यूआईपीओ):** डब्ल्यूआईपीओ में भारत की सदस्यता संबंधी अंशदान का प्रावधान किया गया है।

30.03. **एशियाई उत्पादकता संगठन /संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन:** एशियाई उत्पादकता संगठन और संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (यूएनआईडीओ) में भारत की सदस्यता हेतु अंशदान प्रदान करता है।

30.04. **स्वायत्तशासी निकायों को सहायता:** इस परियोजना के तहत स्वायत्त संस्थानों जैसे राष्ट्रीय सीमेंट और भवन निर्माण सामग्री परिषद, सीमेंट उद्योग के लिए विकास परिषद, कागज, लुग्दी और संबद्ध उद्योग के लिए विकास परिषद और राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद को सहायता प्रदान की जाती है।

31. **स्टार्टअप इंडिया:** देश में नवाचार को बढ़ावा देने तथा स्टार्टअप और स्टार्टअप परिवेश में निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एक मजबूत परिवेश का निर्माण करने हेतु सरकार द्वारा स्टार्टअप इंडिया पहल 16 जनवरी, 2016 को शुरू की गई थी। इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, सरकार ने स्टार्टअप के लिए एक कार्य-योजना तैयार की जिसमें देश में एक जीवंत स्टार्टअप तंत्र बनाने के लिए परिकल्पित योजनाएं और प्रोत्साहन शामिल हैं। कार्य योजना में "सरलीकरण और हैंड होल्डिंग", "वित्तपोषण सहायता और प्रोत्साहन" और "उद्योग-अकादमिक क्षेत्र की साझेदारी और इन्क्यूबेशन" जैसे क्षेत्रों की 19 कार्य मदें शामिल हैं। विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत सरकार द्वारा स्टार्ट-अप को पहचानने, विकसित करने और सशक्त बनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम लागू किए जाते हैं ताकि वे निजी निवेश-हासिल करने में समर्थ बन सकें। इस दिशा में निरंतर प्रयासों के परिणामस्वरूप, सरकार ने डीपीआईआईटी के द्वारा 30 अप्रैल 2023 तक 98,119 संस्थाओं को स्टार्टअप के रूप में

मान्यता प्रदान की है। सरकार ने देश में तबप्रयोग और स्टार्ट-अप के विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए स्टार्ट-अप इंडिया पहल के अंतर्गत एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाया है। परिणामस्वरूप, देश के 80% से अधिक जिलों में फैले हर राज्य और संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) में मान्यताप्राप्त स्टार्ट-अप हैं। मान्यताप्राप्त स्टार्ट-अप से 30 अप्रैल 2023 तक 10.34 लाख से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार सृजित हुआ है, जिससे समग्र आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला है।

32. **भारत कोरिया संयुक्त अनुप्रयुक्त अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम का क्रियान्वयन:** भारत और कोरिया ने 9 जुलाई, 2018 को एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए जिसका उद्देश्य भारत पक्ष की ओर से वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा कोरिया पक्ष की ओर से विज्ञान और आईसीटी तथा व्यापार उद्योग और ऊर्जा मंत्रालय के बीच भारत-कोरिया भविष्य के रणनीतिक समूह की स्थापना करना है ताकि अनुप्रयुक्त विज्ञान एवं औद्योगिक प्रौद्योगिकी पर सहयोग को बढ़ाया जा सके और आर एण्ड डी के अनुप्रयोग तथा टेक्नो-वाणिज्यीकरण के लिए संयुक्त अनुप्रयुक्त अनुसंधान और विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित किया जा सके। समझौता जापान दोनों पक्षों द्वारा अनुसंधान और विकास परियोजनाओं के वित्तपोषण का प्रावधान करता है। ग्लोबल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी अलायंस (जीआईटीए) को डीएसटी और एमओसी की ओर से समन्वय की जिम्मेदारी सौंपी गई है और इसे भारत-कोरिया संयुक्त अनुप्रयुक्त अनुसंधान और विकास कार्यक्रम के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करना होगा।